न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 65/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक: 7.6.2013
अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

ग्राम पंचायत करावन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कराव तहसील पचपहाड जिला झालावाड।

... अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द तहसील पचपहाड जिला झालावाड।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पचपहाड जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा

उपस्थित : श्री जगदीश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

:::निर्णय:::

दिनांक 1.5.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी भवानीमण्डी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा राजस्व अभियान शिविर केम्प सिलेहगढ मे सरपंच ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द द्वारा ग्राम खोखरियाखुर्द व छानका खेडा मे स्थित भूमि को ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिये गये आदेश दिनांक 4.7.2016 एवं खोला गया नामान्तरकरण सं0 941 दिनांक 27.7.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व अभियान शिविर केम्प सिलेहगढ मे सरपंच ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द द्वारा ग्राम खोखरियाखुर्द व छानका खेडा मे स्थित भूमि को ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि ग्राम खोखरियाखुर्द की पूर्व मे ग्राम पंचायत करावन थी इसलिए ख0 सं0 613 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा ग्राम पंचायत करावन के नाम दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम छान का खेडा की ग्राम पंचायत सिंहपुर थी, इसलिए ख0 सं0 337 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत सिंहपुर के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। ग्राम खोखरियाखुर्द को ग्राम पंचायत बने हेतु काफी समय हो गया है किन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सं0 79 ग्राम खोखरियाखुर्द की भूमि ग्राम पंचायत करावन के नाम एवं जमाबंदी सं0 142 ग्राम छान का खेडा की भूमि ग्राम पंचायत सिंहपुर के स्थान पर ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज नहीं की गई है अतः उक्त दोनो ग्राम की भूमि को ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 4.7.2016 को आदेश दिया गया जिसके परिपेक्ष्य मे नामा0 सं0 941 दिनांक 27.7.2016 तस्दीक किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलांट ग्राम पंचायत करावन की खातेदारी की भूमि है जिस पर बहैसियत खातेदार ग्राम पंचायत करावन काबिज है। खातेदारी की भूमि को बिना किसी आधार के आवंटन नियमो के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोक्लेमेशन करवाये तथा भारयुक्त व

अति० सं० आयुक्त
कोटा

भारमुक्त भूमियों की लिस्ट बनाये चुपचाप जेरअपील आदेश पारित किया है जो नियमो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट ग्राम पंचायत करावन को बिना सूचना दिये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अनाधिकृत रूप से जेरअपील आदेश पारित किया है जो आदेश आदेश की परिभाषा मे भी नही आता है इस कारण आदेश दिनांक 4.7.2016 व नामा0 सं0 941 काबिल निरस्तनीय है। आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 4.4.2017को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 4.7.2016 व नामा0 सं0 941 दिनांक 27.7.2016 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये जेरअपील आदेश दिनांक 4.7.2016 पारित किया है जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 27.7.2016 तस्दीक किया गया है। उक्त आदेश अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना चुपचाप पारित किया है जो आदेश की परिभाषा मे नही आता है। बहस मे आगे बताया कि आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलांट ग्राम पंचायत करावन की खातेदारी की भूमि है जिस पर बहैसियत खातेदार ग्राम पंचायत करावन काबिज है। खातेदारी की भूमि को बिना किसी आधार के आवंटन नियमो के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित नही किया जा सकता। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे जेरअपील आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जावे।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलार्थी एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा 4.4.2017 को होना वर्णित करते हुये उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित अपील पेश करने मे हुई क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

5 पत्रावली का गुंणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि राजस्व अभियान शिविर केम्प सिलेहगढ मे सरपंच ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द द्वारा ग्राम खोखरियाखुर्द व छान का खेडा मे स्थित भूमि को ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खोखरियाखुर्द की पूर्व मे ग्राम पंचायत करावन थी इसलिए ख0 सं0 613 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा ग्राम पंचायत करावन के नाम दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम छानका खेडा की ग्राम पंचायत सिंहपुर थी, इसलिए ख0 सं0 337 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत सिंहपुर के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। ग्राम खोखरियाखुर्द को ग्राम पंचायत बने हेतु काफी समय हो गया है किन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सं0 79 ग्राम खोखरियाखुर्द की भूमि ग्राम पंचायत करावन के नाम एवं जमाबंदी सं0 142 ग्राम छान का खेडा की भूमि ग्राम पंचायत सिंहपुर के स्थान पर ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज नहीं की गई है अतः उक्त दोनो ग्राम की भूमि को ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी ने राजस्व अभियान शिविर केम्प सिलेहगढ मे उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का को नामा0 दर्ज करने का दिनांक 4.7.2016 को आदेश पारित किया गया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 27.7.2016 तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलांट ग्राम पंचायत करावन की खातेदारी की भूमि है जिस पर बहैसियत खातेदार ग्राम पंचायत करावन काबिज है। खातेदारी की भूमि को बिना किसी आधार के आवंटन नियमो के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित नही किया जा सकता। उक्त आदेश अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना चुपचाप पारित किया है जो आदेश की परिभाषा मे नही आता है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, प्रमाणित प्रति जेरअपील आदेश व नामा0 सं0 941 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपीलांट के कथन की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये तथा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये बगेर तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना, व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना

तथा विधिक प्रकिया अपनाये बगेर सरपंच ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दर्ज करने का दिनांक 4.7.2016 को आदेश पारित कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है तथा जेरअपील आदेश की परिभाषा मे नही आता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी का आदेश 4.7.2016 एवं उसके आधार पर तस्दीक नामा0 सं0 941 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रकिया अपनाते हुये प्रकरण मे मुताबिक राजस्व रिकार्ड तथ्यो का समुचित परीक्षण कर सभी पक्षकारो को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा राजस्व अभियान शिविर केम्प सिलेहगढ मे सरपंच ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द द्वारा ग्राम खोखरियाखुर्द व छानका खेडा मे स्थित भूमि को ग्राम पंचायत खोखरियाखुर्द के नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिये गये आदेश दिनांक 4.7.2016 एवं उसके आधार खोला गया नामान्तरकरण सं0 941 दिनांक 27.7.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी को विधिक प्रकिया अपनाते हुये प्रकरण मे मुताबिक राजस्व रिकार्ड तथ्यो का समुचित परीक्षण कर सभी पक्षकारो को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 1.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा